न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद, जिला बारां राज.

प्रकरण संख्या 04/20 दायरा दिनांक 25.02.2020

पीठासीन अधिकारी – श्री मुकेश चन्द्र मीना (आर.ए.एस.)

बदनसिंह पुत्र बुधसिंह जाति जाट निवासी शाहाबाद तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान –दौराने दावा फौत

1. बच्चूसिंह उम्र 62 साल पुत्र बदनसिंह जाति जाट निवासी शाहाबाद तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान
2. हरिकेशसिंह उम्र 61 साल पुत्र बदनसिंह जाति जाट निवासी शाहाबाद तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान
3. लक्ष्मणसिंह उम्र 48 साल पुत्र बदनसिंह जाति जाट निवासी शाहाबाद तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान
4. नीलमणि राजकुमारसिंह उम्र 43 साल पुत्र बदनसिंह जाति जाट निवासी शाहाबाद तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान
5. सन्तोष उम्र 52 साल पुत्र बदनसिंह जाति जाट निवासी शाहाबाद तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान

वादीगण

बनाम

राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान

–प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88,89 राज. काश्त. अधि. 1955

निर्णय दिनांक– 12.08.2024

उपस्थित – वादीगण की ओर से – श्री हेमराज नामदेव एडवोकेट

प्रतिवादी की ओर से – एकपक्षीय

संक्षेप में वादी का वाद इस प्रकार हैं कि ग्राम शाहाबाद तहसील शाहाबाद में आराजी ख.नं. 409/491 रकबा 10.00 वीघा किस्म बारानी चतुर्थ स्थित है, जिसे वादपत्र में आगे विवादित आराजी कहा गया है। उक्त विवादित आराजी वादी के एकमात्र खाते तथा कब्जे काश्त की है, जिसके पूरब में मुंगावली रोड पश्चिम में राजकीय चिकित्सालय शाहाबाद परिसर बाउन्ड्रीवाल उत्तर में कमशः ए.डी.एम. कार्यालय सहरिया जनजाति कन्या छात्रावास व उपखण्ड अधिकारी कार्यालय तथा दक्षिण में सरहद मौजा खुशालपुरा स्थित है, जिसे वादी ने कडी मेहनत तथा लाखों रूपये व्यय कर उबड खाबड से समतल किया है काबिल काश्त बनाया है, पक्के कुए का निर्माण किया है विवादित भूमि के मध्य में से गुजर रही 33 के.वी. विधुत लाईन को नियमानुसार विधुत विभाग में 91,000 रूपये जमा कराकर हटवाया है और विवादित भूमि में से मुंगावली रोड के लगवां रकबा 3.02 बीघा भूमि को वादी ने आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित कराया है, जो नामान्तरण नम्बर 270 दिनांक 30.06.2016 से 3.02 है आवासीय प्रयोजनार्थ दर्ज है। शेष रकबा 6.18 बीघा भूमि कृषि भूमि के रूप में है। विवादित भूमि के सम्पूर्ण रकबा 10.00 बीघा का चारों ओर पत्थर कोलसा हुआ था, जिसके स्थान पर वादी ने वर्ष 2006 में पक्की बाउन्ड्री का निर्माण करना प्रारम्भ किया तब प्रतिवादी ने हल्का पटवारी शाहाबाद के जरिये वादी को निर्माण को रूकवाते हुये कहा कि आपने अपने खाते की विवादित भूमि के साथ साथ खसरा नम्बर 408 की करीब

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Chandra Meena
Date: 2024.09.24 12:44:23 IST
Reason: SelfAttested

12/08/2024 उपखण्ड अधिकारी

CamScanner

3.00 बीघा चारागाह भूमि पर अवैधानिक रूप से अतिक्रमण कर रखा है जिस पर वादी ने प्रतिवादी से निवेदन किया कि विवादित भूमि वादी ने वर्ष 1994 में मूलखातेदार गजनलाल पुत्र देवलाल नाई निवासी शाहाबाद से क्रय कर दखल तथा कब्जा प्राप्त किया है और तभी से वादी इसी स्वरूप में विवादित भूमि पर काबिज होकर निरन्तर काश्त करता चला आ रहा है। वादी के इस निवेदन पर प्रतिवादी ने कहा कि आप फिलहाल पक्की बाउन्ड्रीवाल निर्माण नहीं करें, हम अपने स्तर पर पैमायश करा लेते हैं, आप बाद पैमायश अपनी खाते शुदा भूमि की पक्की बाउन्ड्री करा लें। इसके बावजूद प्रतिवादी ने विवादित भूमि की कोई पैमायश नहीं कराई, तब वादी ने दिनांक 18.10.2006 को प्रतिवादी के समक्ष अपने खाते की उक्त विवादित भूमि की पेमायश हेतु आवेदन पेश किया, इसके बावजूद वादी की विवादित भूमि की पैमायश नहीं की गई और बिना किसी पैमायश के खसरा नम्बर 408 में 3.00 बीघा रकबे पर वादी को अतिक्रमी बतलाते हुये धारा 91 आर.एल.आर. एक्ट का नोटिस वादी के नाम जारी कर दिया। तदुपरान्त वादी के आवेदन पर प्रतिवादी द्वारा जारी आदेश क्रमांक 1932–35 दिनांक 23.09.2011 की पालना में दिनांक 25.09.2011 को हल्का पटवारी शाहाबाद श्री जमनालाल हल्का पटवारी सन्दोकडा श्री समीउद्दीन हल्का पटवारी रामपुर तलहटी श्री अनिल शर्मा की संयुक्त कमेटी द्वारा वादी की उपस्थिति में विवादित भूमि व खसरा नम्बर 408 की भूमि की संयुक्त पैमायश की गई, दौराने पैमायश वादी के खाते की विवादित भूमि के उत्तरी पूर्वी कोर्नर की करीब 2.02 बीघा भूमि पर वादी का अनाधिकृत कब्जा होना पाया, जिसे उसी दिन वादी ने छोडते हुये अपना पत्थर कोट पृथक से रख लिया बाद में वादी द्वारा छोडे गये खसरा नम्बर 408 के 2.02 बीघा रकबे पर सरकार ने उपकोष कार्यालय भवन निर्माण कर लिया है। इस प्रकार वादी अपने खाते व कब्जे काश्त की विवादित भूमि के सम्पूर्ण रकबा 10.00 बीघा पर क्रय वर्ष 1994 से निरन्तर काबिज काश्त है, जिसे 26 वर्ष हो चुके हैं, विवादित भूमि को वादी ने कडी मेहनत तथा लाखों रूपये व्यय कर उबड खाबड से समतल किया है, काबिल काश्त बनाया है, पक्के कुए का निर्माण किया है, विवादित भूमि के मध्य में से गुजर रही 33 के.वी. विधुत लाईन को नियमानुसार विधुत विभाग में 91,000 रूपये जमा कराकर हटवाया है और विवादित भूमि में से मुंगावली रोड के लगवां रकबा 3.02 बीघा भूमि को वादी ने आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित कराया है, कई बार मौका देख हल्का पटवारियान ने वादी के कब्जा काश्त अनुसार नक्शा ट्रेस की नकलें जारी की हैं और कमेटी की सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 25.09.2011 से विवादित भूमि पर वादी के स्वतन्त्र कब्जा काश्त की पुष्टि होती है, वादी मौके पर काबिज काश्त है, परन्तु वादी की खातेशुदा उक्त विवादित भूमि की तरमीम राजस्व रिकार्ड नक्शे में नहीं होने से सदैव ही असमंजस की स्थिति रहती है और प्रतिवादी द्वारा वादी को नाजायज परेशान किया जाता है। इस कारण वादी अपने कब्जेकाश्त अनुसार अपनी विवादित भूमि की सीमाओं का निर्धारण कराकर राजस्व रिकार्ड नक्शे में तरमीम कराने का अधिकारी है। प्रतिवादी का वैधानिक दायित्व है कि वह अपने अधीनस्थ राजस्व कर्मचारी हल्का पटवारी/भूअभिलेख निरीक्षक के मार्फत खातेदारी भूमि पर खातेदार के कब्जे अनुसार राजस्व रिकार्ड नक्शे में सीमाओं का तरमीम अंकन कराये, परन्तु पर वादी के काबिज काश्त है, वादी के कब्जा काश्त अनुसार समय समय पर मौके की जांच पश्चात वादी की

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Chandra Meena
Date: 2024.09.24 12:44:23 IST
Reason: SelfAttested

12/08/2024
उपखण्ड अधिकारी

विवादित भूमि खसरा नम्बर 409/491 के नक्शे जारी किये गये हैं, मौके की जांच कर विवादित भूमि में से 3.02 बीघा रकबा आबादी में परिवर्तित किया गया है, इस प्रकार प्रतिवादी को भलिभांति ज्ञात होते हुये भी तथा वादी के अनेकों बार तथा दिनांक 17.02.2020 को अन्तिम बार निवेदन करने के बावजूद भी वादी की विवादित भूमि का नक्शा तरमीम नहीं किये जाने पर वादी को वाद कारण प्राप्त हुआ है। अतः वाद प्रस्तुत कर श्रीमान से प्रार्थना है कि वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी के खाते तथा कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 409/491 रकबा 10.00 बीघा ग्राम शाहाबाद पटवार हल्का शाहाबाद तहसील शाहाबाद की वादपत्र की मद नम्बर 2 में वर्णित एवं मौका रिपोर्ट दिनांक 25.09.2011 के अनुसार सीमाओं की तरमीमी घोषणा की जावे और प्रतिवादी को आदेशित किया जावे कि वे तदानुसार वादी की उक्त विवादित आराजी को राजस्व रिकार्ड नक्शे में तरमीम करें।

वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को तलब किया गया। प्रतिवादी को जबाव हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने पर भी कोई जबाव पेश नहीं किया गया और प्रतिवादी के अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी ने विवादित भूमि ख.नं. 409/491 रकबा 10.00 वीघा ग्राम शाहावाद के बावत तरमीमी घोषणा चाही है। वादी की ओर से नकल जमाबंदी ग्राम शुभघरा सम्वत 2071–74 पेश की गई है, जिससे वादी वादग्रस्त भूमि का खातेदार होना साबित है नक्शा ट्रेस ग्राम शाहावाद की नकल पेश की है, जिसमें विवादित आराजी की कोई तरमीम नहीं है, नकल खसरा गिरदावरी संवत 2071–74 तथा मौका रिपोर्ट दिनांक 25.09.2011 से मौके पर वादी का कब्जा होना भलि भांति साबित है। इस प्रकार वादी अपनी विवादित आराजी की तरमीमी घोषणा कराने का वैध हकदार पाया जाता है। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी को आदेश दिया जाता है कि विवादित आराजी ख.नं. 409/491 रकबा 10.00 बीघा ग्राम शाहावाद तहसील शाहावाद को मौके पर वादी के कब्जा काश्त अनुसार राजस्व रिकार्ड नक्शे में तरमीम किया जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 12.08.2024 को सरे इजलास सुनाया गया। तदानुसार डिक्री जारी हो। प्रकरण फैसल शुमार होकर पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

12/08/2024

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद बारां (राज.

Signature Not Verified

Digitally signed by Mukesh Chandra Meena
Date: 2024.09.24 12:44:23 IST
Reason: SelfAttested

CamScanner